राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 262/2024

सुरेश चन्द मीना —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप आयुक्त, शासन उप सचिव प्रशासनिक (द्वितीय), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सवाईमाधोपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.08.2015
आदेश की दिनांक : 13.08.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री टी.सी. व्यास, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री राजेश कुमार निगम, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त अपीलों की ग्राह्यता पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पंचायतीराज विभाग के अधीन ग्राम पंचायत में सचिव के पद पर हुई थी। अपीलार्थी को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया था तथा अपीलार्थी ने ग्राम पंचायत भाडोती, पंचायत समिति मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर के कार्यालय में इस पद पर कार्यग्रहण किया। वर्ष 2016 में ग्राम पंचायत भाडोती पंचायत समिति बौंली वर्तमान में पंचायत समिति मलारना डूंगर में सीसी रोड निर्माण के कार्य के लिए प्रत्यर्थी विभाग से अनुमति प्राप्ति के बाद, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अन्य कर्मचारियों के साथ एसएफसी योजना में कार्य निष्पादित किया था। लेकिन निजी व्यक्ति अर्थात् मुकेश कुमार की शिकायत के क्रम में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग नोटिस जारी किए बिना और सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश दिनांक 28.01.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को 13,28,723/– रुपये का सरकार को हुए नुकसान के एवज में 1/3 हिस्सा जमा करने का निर्देश दिया। वसूली आदेश के जवाब में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक अभ्यावेदन दिया लेकिन प्रत्यर्थी

विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया। आलौच्य आदेश जारी करने में प्रत्यर्थी विभाग में रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों एवं विधिक स्थिति के विपरीत जाकर किया। अपीलार्थी को कथित अधिक भुगतान की अधिकारिता नहीं है। बिना प्रक्रिया अपनाये राशि जमा कराने का आदेश जारी किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने राजस्थान पंचायतीराज के नियम 245 से नियम 255 के साथ–साथ राजस्थान स्थानीय निधि लेखा परीक्षा नियम, 1955 के नियम 28 का पूरी तरह से उल्लंघन किया है। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 16.01.2024 और 19.01.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी सहित अन्य से वसूली के लिए संबंधित प्राधिकारी से अनुमति मांगी। कार्य प्रस्ताव की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद और उच्च प्राधिकारी की वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव के तहत, अपीलार्थी वित्तीय सहमति के कागजात पर हस्ताक्षर करता है। तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति अनुलग्नक–3 पर अवलोकनीय है। प्रत्यर्थी विभाग ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 74 और 75 के साथ–साथ राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 207 से 210 और 214 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–जे का उल्लंघन करते हुए इनका विश्लेषण किए बिना अपीलार्थी के खिलाफ वसूली आदेश जारी किया। आलौच्य कार्यवाही एवं पत्र दिनांक 28.01.2024 के पश्चात अपीलार्थी ने उच्चाधिकारियों से मिल कर वसूली कार्यवाही रोकने का निवेदन किया परन्तु न तो वसूली कार्यवाही रोकी गई एवं नहीं कोई आश्वासन दिया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी एवं अन्य के खिलाफ निजी शिकायत के आधार पर शुरू की गई वसूली कार्यवाही के संबंध में पूरी कार्यवाही को अपास्त किया जावे और विवादित कार्रवाई और पत्र दिनांक 28.01.2024 और 16.01.2024एवं पत्र दिनांक 19.01.2023 को अपास्त किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपायुक्त एवं शासन उप सचिव द्वितीय पंचायतीराज विभाग जयपुर के आदेश दिनांक 28.01.2024 के अनुसार लोकायुक्त जयपुर में शिकायत दर्ज हुयी जिसकी पालना में अपीलार्थी व अन्य सरपंच श्रीमती रजनी देवी व तत्कालीन कनिष्ठ तकनीकी सहायक के करवाये गये मनरेगा कार्य में घोटाले की जाँच करवाने पर 13,28,723/– रूपये की राशि का घोटाला पाया गया जिसकी 1/3 राशि अपीलार्थी से वसूल की जानी है। जिला परिषद् सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 22.07.2022 के द्वारा अधिशाषी अभियंता मनरेगा व वरिष्ठ लेखाधिकारी जिला परिषद् सवाई माधोपुर की कमेटी गठित की गयी जिसमें परिक्षण के पश्चात् 10 निर्माण कार्यों पर वसूली राशि प्रस्तावित की गयी जो वसूली योग्य है। अपीलार्थी के पास ग्राम विकास अधिकारी का कार्यभार भी था जो कि मिली भगत कर राजकोष को जानबूझ कर षडयंत्र कर नुकसान पहुँचाया गया। विभाग के आदेश

दिनांक 19.01.2023 के अनुसार 07 दिवस में वसूली राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये गये थे जो कि अपीलार्थी ने जानबूझ कर यह राशि जमा नहीं करवायी इसलिये उसके वेतन से यह राशि वसूल की जानी है जो नियमानुसार सही है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अब्दुल सलाम बनाम महाराणाप्रताप विश्वविद्यालय, डब्लू.एल. सी. 2004 यू.सी. पेज न. 621 रिट न. 1377/2003 आदेश दिनांक 24.02.2004 को यह निर्णय दिया कि राजकोष को हानि पहुँचायी है तो वसूली की जा सकती है, ऐसे कर्मचारी को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी एवं अन्य से निर्माण कार्यों में अनियमितता की जाकर राजकोष को हानि पंहुचाने पर कुल राशि 13,28,723/– रुपये की आनुपातिक वसूली की कार्यवाही की जा रही है, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील दायर की गई है। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार निर्माण कार्यों की लोकायुक्त राजस्थान को शिकायत प्राप्त होने पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने जांच कमेटी गठित कर जांच कराई। उस जांच में 10 निर्माण कार्यों की जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर जिला परिषद्, सवाईमाधोपुर द्वारा दोषियों के चिन्हीकरण हेतु स्थानीय स्तर पर जांच दल गठित किया गया, जिसमें अपीलार्थी एवं अन्य दो (तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत भौडोती एवं तत्कालीन कनिष्ठ तकनीकी सहायक) की जिम्मेदारी तय करने पर जिला परिषद्, सवाईमाधोपुर ने पत्र दिनांक 19.01.2023 द्वारा अपीलार्थी एवं अन्य को वसूली योग्य राशि 13,28,723.90/– रुपये की आनुपातिक वसूली हेतु जारी कर राशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया। इसके पश्चात जिला परिषद्, सवाईमाधोपुर ने पत्र दिनांक 16.01.2024 से वसूली के संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने मार्गदर्शन मांगा। इस पर विभाग ने पत्र दिनांक 28.01.2024 द्वारा तत्कालीन सरपंच, अपीलार्थी एवं तत्कालीन कनिष्ठ तकनीकी सहायक से समानुपातिक रूप से वसूली हेतु निर्देश जारी किए गए है। अपीलार्थी ने इस समस्त वसूली कार्यवाही को अपास्त करने का अनुतोष चाहा है। अपील में यह मुख्य आधार लिया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन कर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना समस्त कार्यवाही की गई है। बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति लिए वसूली की कार्यवाही की जा रही है एवं समस्त निर्माण कार्य सक्षम प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के बाद कराये गये है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि लोकायुक्त सचिवालय में शिकायत होने पर राज्य स्तरीय कमेटी ने प्रकरण में 10 निर्माण कार्यों की जांच

कर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर जिला परिषद्, सवाईमाधोपुर द्वारा गठित जांच दल द्वारा उत्तरदायी व्यक्तियों का निर्धारण करने के पश्चात वसूली कार्यवाही प्रारम्भ की जाना पाया जाता है। अपीलार्थी को जारी नोटिस दिनांक 19.01.2023 के साथ जांच रिपोर्ट एवं परीक्षण रिपोर्ट दोनों की प्रतिया उपलब्ध कराई गई है, जिनमें अनियमितताओं का अंकन एवं वसूली का आधार उपलब्ध है। परन्तु इनके संबंध में अपीलार्थी ने अपनी अपील में कोई कथन नहीं किया है। राजकोष से अनियमित भुगतान या गबन एक लोक सेवक का गंभीर दुराचरण है एवं ऐसी राशि की वूसली किया जाना आवश्यक है।

अतः हम इस अपील को बलहीन एवं सारहीन पाते है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य